# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

**गुरूवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 (अग्रहायण 9, शक सम्वत् 1939)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

### 1. प्रश्नकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

**नेता प्रतिपक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति कथित असंसदीय टिप्पणी पर निन्दा प्रस्ताव या क्षमायाचना संबंधी मांग की जाना**

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि कल किसी विषय को लेकर नेता प्रतिपक्ष आपके लिए बंधुआ मजदूर की संज्ञा दी है. अभी तक के इतिहास में सदन में इस तरह के शब्दों का उपयोग कभी नहीं किया गया. इस विधान सभा की बहुत श्रेष्ठ, अनुकरणीय परम्परा रही है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदन में सर्वानुमति से तय हुआ था. आप सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के भी अध्यक्ष है. हम सब लोगों ने मिलकर आपको आसंदी पर बिठाया है अगर प्रतिपक्ष के नेता द्वारा आपको बंधक कहा जाना सदन की मर्यादा का उल्लंघन है और इसके लिए मैं उनके विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव लाना चाहता हूं या फिर उसके लिए वे क्षमा और खेद व्यक्त कर दें.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि इस संबंध में नियमों के अंतर्गत कोई बात आयेगी तो हम उस पर विचार करेंगे. अभी आप लोग प्रश्नकाल को चलने दें, क्योंकि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने उल्लेख किया कि आसंदी के नजरों में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के प्रति एक समान व्यवहार होना चाहिए. आप से हम लोग पूरी तरह से संरक्षण चाहते है और आप का संरक्षण हम लोगों पर है. विपक्ष इसलिए चुनकर आता है कि संवैधानिक व्यवस्था में विपक्ष बहुत आवश्यक है और जनता के मुद्दों को उठाता है. हम जो स्थगन प्रस्ताव लाए है आप उस पर पहले व्यवस्था देदें और प्रश्नकाल हो जाने दें. आपने नियम 130 के अंतर्गत इस मुद्दे को लेने की बात कही है हम उस पर भी चर्चा करने को तैयार है. हमें अध्यक्ष महोदय का आदेश शिरोधार्य है. आप हमें ये विश्वास दिला दें कि इस पर चर्चा कराए बिना सदन समाप्त नहीं होगा. अध्यक्ष महोदय ने पुन: अनुरोध किया कि मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है. अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो कार्यवाही आगे बढ़ने दें. प्रश्कल के तत्काल बाद आप यही प्रश्न उठा देना, मैं उत्तर दे दूंगा. यदि आपने जोर दिया तो यह एक ठीक परम्परा नहीं बनेगी, आप प्रश्नकाल हो जाने दें, उससे सदन की मर्यादा भी बनी रहेगी.

श्री उमाशंकर गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री (प्रभारी) विपक्ष के नेता ने अध्यक्ष महोदय के प्रति जो कथन किया है इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए. आज अनुपूरक अनुमान पर चर्चा होनी है, विधेयक भी आ रहा है, इन पर आप चर्चा कर लें.

तदुपरांत ध्यानाकर्षण के समय इसी परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष के यह कहने पर कि हम लोग सदन चलाना चाहते हैं. श्री उमाशंकर गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री (प्रभारी) ने उल्लेख किया कि नेता प्रतिपक्ष ने कल आसंदी के बारे में जो कहा उसके लिए क्षमा मांगे इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सदन के बाहर होश में थोड़ा जोश आने से माननीय अध्यक्ष के लिए कुछ कहा उसके लिए क्षमा मांगता हूं.

### 2. गर्भगृह में प्रवेश एवं व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित की जाना

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया. व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा पहले 11.17 बजे से सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.23 बजे पुन: समवेत हुई तथा पुन: 11.27 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.01 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

## 3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 1 प्रश्न (प्रश्न संख्या 1 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उसका उत्तर दिया गया. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 140 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 148 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

## 4. प्रश्नकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमशः)

श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि आप हमें दो दिन से आश्वासन दे रहे हैं परन्तु सरकार क्यों डर रही है और वो इस पर चर्चा कराये, हम इस बारे में 2 दिन से मांग कर रहे है और यह महिलाओं का बहुत गंभीर मुद्दा है, महिलाओं के साथ पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहा है.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने भोपाल में 31 अक्टूबर, 2017 को छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और उसके बाद की अन्य सामूहिक बलात्कार की घटनाएं प्रदेश में हुई हैं उन पर हमने स्थगन दिया था. 3 दिन से सदन में गतिरोध चल रहा है, आपने कहा था कि आप 12 बजे के बाद इस पर व्यवस्था देंगे. हम चाहते है कि आप इसे किसी न किसी रूप में लेकर चर्चा कराएं, ये प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मामला है अगर इस पर चर्चा नहीं हो पायेगी तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पाएंगे. इस पर आप चर्चा कराने का निर्णय दें.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि "मैंने अनुरोध किया था कि प्रश्नकाल हो जाने दें उसके बाद में मैं व्यवस्था दूंगा. मुझे इसका खेद है कि आज प्रश्नकाल नहीं हो पाया और बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न रह गये. माननीय रामनिवास रावत, सदस्य ने जो विषय उठाया है, मैं कल 1 दिसम्बर को नियम 130 के अंतर्गत उस विषय पर चर्चा कराने के लिए आपको आश्वस्त करता हूं."

## 5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य की बालाघाट जिले की कटंगी, खैरलांजी व तिरोड़ी तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने,

(2) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की सेंवढ़ा विधान सभा क्षेत्र की नगर पंचायत इंदरगढ़ में बायपास रोड निर्माण करने,

(3) डॉ. योगेन्द्र निर्मल, सदस्य की जिला बालाघाट अंतर्गत पंचायतों के पुनर्समायोजन किए जाने,

(4) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की विदिशा जिले के गंजबासौदा क्षेत्र में विद्युत केबल लाईन न डाली जाने,

(5) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की प्रदेश शासन द्वारा नई प्रवेश प्रक्रिया से निजी शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक हानि होने,

(6) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य की आलोट क्षेत्र के किशनगढ़ स्थित मंदिर में श्रद्धालुओं हेतु शेड का निर्माण किये जाने

(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के आलमपुर कस्बे में ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों का रख रखाव न किये जाने,

(8) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की जौरा विधानसभा के नगर परिषद् कैलारस में पहाड़ उत्खनन से प्राचीन मंदिर के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होने,

(9) श्री राम निवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के विजयपुर स्थित मंदिर से मूर्ति की चोरी होने तथा

(10) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सीधी व सिंगरौली जिले में जले हुए ट्रांसफार्मर न बदलने एवं बिजली विभाग का कुप्रबंधन होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

## 6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2017 का प्रतिवेदन, संख्या-5 पटल पर रखा.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में श्री उमाशंकर गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री (प्रभारी) ने मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का चौंतीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2014-15 पटल पर रखे.

(4) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने –

(क) महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 तथा

(ख) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विभिन्न विभागों की निम्न अधिसूचनाएं –

1. क्रमांक एफ 2-17-2017-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-27, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
2. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-32, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
3. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-34, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
4. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-42, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
5. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-41, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
6. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-22, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
7. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-12, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
8. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-07 दिनांक 14 जुलाई, 2017,
9. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-12, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
10. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-31 दिनांक 14 जुलाई, 2017,
11. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-40, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
12. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-29, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
13. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-39, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
14. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ/लोसेप्र-पीएसजी-7, दिनांक 14 जुलाई, 2017,
15. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-32, दिनांक 22 जुलाई, 2017,
16. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-33, दिनांक 22 जुलाई, 2017,
17. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-2, दिनांक 22 जुलाई, 2017,
18. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-18, दिनांक 22 जुलाई, 2017,
19. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-13, दिनांक 22 जुलाई, 2017,
20. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-12, दिनांक 29 जुलाई, 2017,
21. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-1, दिनांक 05 सितम्बर, 2017,
22. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-34, दिनांक 05 सितम्बर, 2017,
23. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-35, दिनांक 05 सितम्बर, 2017,
24. क्रमांक एफ 2-22-2017-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-23, दिनांक 20 सितम्बर, 2017,
25. क्रमांक एफ 2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-02, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
26. क्रमांक एफ 2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-42, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
27. क्रमांक एफ 2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-20, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
28. क्रमांक एफ 2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-38, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
29. क्रमांक एफ 2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-05, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
30. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-43, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
31. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-1, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
32. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-43, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017,
33. क्रमांक एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पीएसजी-20, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017,

पटल पर रखीं

(5) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन की अनुपस्थिति में श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने -

(क) श्री आर.के.जैन, उपायुक्त वाणिज्यिक कर की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु बाबत् गठित न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन, दिनांक 30 अप्रैल, 2009,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015), तथा

(ग) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा, वर्ष 2014-15,

पटल पर रखे.

## 7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें.

(1) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के चौरई एवं बिछुआ विकासखण्डों में कृषकों के विद्युत ट्रांस्फार्मर न बदले जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

**उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.**

(2) सर्वश्री निशंक कुमार जैन, रामेश्वर शर्मा, प्रताप सिंह, सदस्यगण, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री रामनिवास रावत, श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य ने विदिशा जिले के गंजबासौदा विकास खण्ड अंतर्गत नल-जल योजनाएं ठप्प हो जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री की अनुपस्थिति में श्री रूस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य ने रीवा के कोठी कम्पाउण्ड में कोर्ट भवन न बनाये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया.

## 8. बहिर्गमन

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

## 9. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(4) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य ने मुरैना जिले की जनपद पंचायत कैलारस में मनरेगा योजना में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

## 10. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

### गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्रीमती योगिता नवलसिंह बोरकर, सदस्य ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

| क्रमांक | अशासकीय संकल्प क्रमांक | माननीय सदस्य | निर्धारित समय |
|---|---|---|---|
| 1. | क्रमांक – 10 | श्री के.डी. देशमुख | 45 मिनिट |
| 2. | क्रमांक – 15 | डॉ. गोविन्द सिंह | 1 घण्टा |
| 3. | क्रमांक - 6, 7, 30 | श्री अरूण भीमावद, श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, श्री जालम सिंह पटेल | 45 मिनिट |

श्रीमती योगिता नवलसिंह बोरकर, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ पैंतालीसवां से एक सौ तिरपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का सैंतीसवां, अड़तीसवां, उनतालीसवां एवं चालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(4) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति का छत्तीसवां एवं सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

## 11. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(2) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(4) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(5) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-भिण्ड)
(6) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(7) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(8) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(9) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(10) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(11) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(12) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(13) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(14) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(15) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(16) कुं. विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(17) श्री गिरीश भंडारी (जिला-राजगढ़)
(18) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)

(19) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(20) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(21) श्री घनश्याम पिरौनियाँ (जिला-दतिया )
(22) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना )
(23) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(24) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(25) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(26) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(27) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(28) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(29) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(30) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(31) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
(32) श्री दिव्यराज सिंह (जिला-रीवा)
(33) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(34) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(35) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(36) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(37) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
(38) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(39) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(40) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(41) श्री चैतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(42) श्री नथन शाह कवरेती (जिला-छिन्दवाड़ा)
(43) श्री अमरसिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(44) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा

## 12. शासकीय वक्तव्य

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2017 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 147 (क्रमांक 4366) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

## 13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 26 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

## 14. अध्यक्षीय घोषणा

### शासकीय विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता के कारण, आज ही पुर:स्थापित किया जाना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि मैंने कार्यसूची के पद क्रमांक-7 के उप पद (3), (7) एवं (8) में अंकित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश की कंडिका 24 मं विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही सदन में पुर:स्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है.

## 15. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(3) कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 27 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्रीमती माया सिंह, नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 28 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2017 (क्रमांक 29 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 30 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(7) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 31 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(8) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 32 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

**(अपराह्न 1.29 बजे से 3.08 बजे तक अन्तराल)**

**उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.**

## 16. वर्ष 2017-2018 की द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 60 तथा 65 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पन्द्रह हजार पांच सौ पचास करोड़, सोलह लाख, तिरसठ हजार, नौ सौ तैंतीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. ".

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री मुकेश नायक

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(3) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया
(4) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(5) श्री शैलेन्द्र पटेल
(6) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(7) श्री गिरीश भण्डारी
(8) कुंवर सौरभ सिंह

**उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.**

(9) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(10) श्री हरदीप सिंह डंग
(11) श्री कमलेश्वर पटेल
(12) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे
(12) श्री रामनिवास रावत
(12) श्री बाला बच्चन

## 17. अध्यक्षीय घोषणा
## सदन के समय में वृद्धि विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 9 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाय.

## 18. वर्ष 2017-2018 की द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.**

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

## 19. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2017 (क्रमांक 25 सन् 2017) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2017 (क्रमांक 25 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 5.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 (अग्रहायण 10, शक सम्वत् 1939) को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**अवधेश प्रताप सिंह,**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

**भोपाल:**
**दिनांक: 30 नवम्बर, 2017**